2/8/25 पत्रावली पेश हुई पक्षकारान तलब।
अप्रार्थी TPR ने जवाब प्रस्तुत किया
चूंकि प्रार्थी [illegible] आवजी
की पालना नहीं करता आ रहा है, यह
भूमि विवाद राजस्व रिकॉर्ड
में दर्ज है जिसका फैसला यहां की
जानी व्यावहारिक नहीं है। अतः
रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं
दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर